न्यायालय—अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश—13, वैशाली, हाजीपुर।

टी0 ए0 सं0—01/1996

	मो0 शाहिदा खातून एवं अन्य, **मोहल्ला—बागमली,थाना—हाजीपुर नगर, जिला—वैशाली ——— अपीलकर्तागण** **बनाम** **श्रीमती आभा गुप्ता एवं अन्य,** **मोहल्ला—बागमली, थाना—हाजीपुर नगर, जिला—वैशाली ——— उत्तरवादीगण।**	

Web Copy not Official

आदेश

21.09.2022

अपीलकर्ता, उत्तरवादी प्रथम पक्ष एवं उत्तरवादी सं0—3बी की ओर से हाजरी दी गयी है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक—12.09.2022 एवं अपीलकर्ता की ओर से आदेश—22 नियम 3 के अन्तर्गत दिनांक—15.09.2021 को दाखिल आवेदन एवं उत्तरवादी सं0—3बी0 उपेन्द्र चौधरी की ओर से दाखिल उसके प्रत्युत्तर सभी पर एक साथ सभी पक्षों को सुना गया। अभिलेख द्वितीय पाली में आदेश हेतु रखा गया।

द्वितीय सत्र
21.09.2022

अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। उत्तरवादी प्रथम पक्ष की ओर से दिनांक—12.09.2022 को एक आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया है कि मृत उत्तरवादी सं0—9 उर्मिला देवी इस अपील में या निम्न न्यायालय में सम्मन एवं निबंधित लिफाफा प्राप्ति रसीद सहित का तामिला के बावजूद पूर्व में कभी उपस्थित नहीं हुई। मृतिका के सहोदर भाई अर्थात प्रतिवादी सं—2 से 5 सम्पूर्ण 2 कट्ठा 7 धूर प्रतिवादी को बेच चुके हैं। इस प्रकार निवेदन किया गया है कि आदेश—22 नियम—4(4) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उत्तरवादी उर्मिला देवी का नाम प्रतिस्थापित करने से अपीलकर्ता को छूट दिया जाय।

अपीलकर्ता की ओर से आदेश—22 नियम—3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आवेदन में कहा गया है कि इस अपील के सुनवाई के दौरान उत्तरवादी सं0—9 उर्मिला देवी की मृत्यु दिनांक—04.08.2022 को हो गयी जो उत्तरवादी सं0—3 उपेन्द्र चौधरी के साथ संयुक्तावस्था में रहकर निःसंतान मर गयी। इसलिए स्व0 उर्मिला देवी की सभी सम्पत्ति पर भतीजा उपेन्द्र चौधरी का दखल कब्जा साथ हकीतय के हुआ है। अतः उत्तरवादी सं0—9 उर्मिला देवी का नाम मेमो ऑफ अपील के कॉलम से काट देने का निवेदन किया गया है।

उत्तरवादी सं0—3 बी0 उपेन्द्र चौधरी की ओकर से उत्तरवादी प्रथम पक्ष आभा गुप्ता की ओर से दाखिल आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक—15.09.2.22 को दाखिल किया गया है तथा अपने प्रत्युत्तर में कहा है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित नहीं है तथा उक्त आवेदन पर उत्तरवादी प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर भी नहीं है। उत्तरवादी सं0—4 हाजीर होकर जबाव दाखिल कर पैरवी छोड़ चुके हैं एवं उत्तरवादी सं0—1 के मेल में है। उत्तरवादी सं0—5 गणेश चौधरी हाजीर नहीं

क्रमाशः

न्यायालय—अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश—13, वैशाली, हाजीपुर।

टी0 ए0 सं0—01 / 1996

	मो0 शाहिदा खातून एवं अन्य, **मोहल्ला—बागमली,थाना—हाजीपुर नगर, जिला—वैशाली ——— अपीलकर्तागण** **बनाम** **श्रीमती आभा गुप्ता एवं अन्य,** **मोहल्ला—बागमली, थाना—हाजीपुर नगर, जिला—वैशाली —— उत्तरवादीगण।**	

Web Copy not Official

लगातार 21.09.2022	हुए है वो उत्तरवादी सं0—4 एवं 5 उत्तरवादी प्रथम पक्ष के मेल में हैं। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के पति हाजीपुर सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता है, जिनके यहॉ करप्रदाजी करते है एवं मेल में है। अपीलकर्ता द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक—15.09.2022 को उत्तरवादी सं0—3बी0 उपेन्द्र चौधरी की ओर से समर्थन किया जाता है तथा सबूत मांगे जाने पर दाखिल करेंगे। इस प्रकार निवेदन किया गया है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष का दाखिल आवेदन दिनांक—12.09.2022 बिना शपथ पत्र एवं हस्ताक्षर के होने के कारण तथा कटिंग होने के कारण खारिज होने योग्य है। उभय पक्ष को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष एवं अपीलकर्ता के ओवदन एवं उत्तरवादी सं0—3बी0 उपेन्द्र चौधरी के प्रत्युत्तर का मूल आशय यह है कि उत्तरवादी सं0—9 उर्मिला देवी की मृत्यु हो गयी तथा वे निःसंतान ही मर गयी। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा भी अपने आवेदन दिनांक—12.09.2022 के माध्यम से प्रकारान्तर से उत्तरवादी सं0—9 उर्मिला देवी का नाम मेमो ऑफ अपील के काज टाईटिल से विलोपित करने का निवेदन किया गया है। अपीलकर्ता की ओर से दाखिल आवेदन में भी यही निवेदन किया गया है कि उत्तरवादी सं0—3 की मृत्यु दिनांक—04.8.2022 को हो गयी है और उत्तरवादी सं0—3बी0 उपेन्द्र चौधरी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में भी अपीलकर्ता के आवेदन दिनांक—15.09.2022 का समर्थन किया गया है। अपीलकर्ता का आवेदन दिनांक—15.09.2022 शपथ पत्र से समर्थित है तथा अपीलकर्ता का आवेदन समय सीमा के अन्दर दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में **अपीलकर्ता का ओवदन दिनांक—15.09.2022 स्वीकृत** करते हुए **उत्तरवादी प्रथम पक्ष का आवेदन दिनांक—12.09.2022 निष्पादित किया जाता है।** अपीलकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि समय सीमा के अन्दर मेमो आफ अपील के कॉज टाईटिल से उत्तर वादी सं0—09 उर्मिला देवी का नाम विलोपित करें। दिनांक—23.09.2022 उत्तरवादी सं0—9 का नाम विलोपित करने हेतु। **लेखापित,** **अपर सत्र न्यायाधीश—13,** **वैशाली, हाजीपुर।**	

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–13, वैशाली, हाजीपुर।
टी0 ए0 सं0–01/1996

	मो0 शाहिदा खातून एवं अन्य, मोहल्ला–बागमली,थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली ——— अपीलकर्तागण बनाम श्रीमती आभा गुप्ता एवं अन्य, मोहल्ला–बागमली, थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली —— उत्तरवादीगण।	

Web Copy not Official